महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः– 198/एक–11–2020–रा0–11

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः:दिनॉकः 24, मार्च, 2020

विषयः–विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid–19के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid–19के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है।

2. ऐसे दैनिक वेतन भोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया।

3. मंत्री समिति की संस्तुतियोंतथा तत्क्रम में अपर मुंख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–2–67/दस–2020–एम–01/2020 दिनांक 21.03. 2020 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित मजदूरों आदि के भरण–पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। समिति की संस्तुतियों मे से क्रमांक2 से 7पर अंकितप्राविधानव उसके कियान्वयन की प्रकिया निम्नवत होगीः–

संस्तुति कमांक–2–श्रम विभाग से सम्बन्धित–प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम विभाग उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से 5.97 लाख श्रमिकों जिनके, बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं, के खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित करेंगे। अवशेष श्रमिकों के बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाये। इस पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund'से किया जायेगा।

उक्त संस्तुति के कम मेंश्रम विभाग द्वारा शासनादेश सं0–596/36–2–2020–03(जी)/2020दिनांक 23.03.2020, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अभिसूचना सं0–4893–4902/भ0नि0बो0 (1803)–2020 दिनांक 23.03.2020 तथा पत्र सं0–4894–4902/भ0नि0बो0 (1803)–2020 दिनांक 23.03.2020 निर्गत किये जा चुके हैं।(छायाप्रति संलग्न)

संस्तुति कमांक–3–नगर विकास विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित –शहर में घुमन्तू प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है, का बैंक खाता विवरण सहित डेटाबेस नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाय। ऐसे सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाये। शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड इनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं डी.एस.ओ. के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

उक्त संस्तुति के कम मेंनगर विकास विभाग अनुभाग–9 द्वारा शासनादेश संख्या –698/नौ–9–2020–58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा शासनादेश सं0–616/29–6–2020–345सा/12टीसी दिनांक 24 मार्च, 2020 निर्गत किये जा चुके हैं।(छायाप्रति संलग्न)

संस्तुति कमांक–4–श्रम विभाग से सम्बन्धित–कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों के समक्ष भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः सभी बन्द शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल, दुकान आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाये कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी अवधि में 'Paid Leave'प्रदान किया जायेगा।

उक्त संस्तुति के कम मेंश्रम विभाग अनुभाग–3 द्वारा अधिसूचना संख्या–09/2020/446/36–03–2020–30 (सा0)/2020 दिनांक 20 मार्च 2020 जारी की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)

संस्तुति कमांक–5–ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित–मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में किये जा चुके कार्य के सन्दर्भ में भारत सरकार से लगभग 556 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त न होने के कारण मनरेगा जाब कार्ड धारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर जाब कार्ड धारकों को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2020 में कराया जाये।

उक्त संस्तुति के कम मेंग्राम्य विकास विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

संस्तुति कमांक–6–खाद्य एवं रसद विभागसे सम्बन्धित–प्रदेश के लगभग 1.65 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों(अन्त्योदय योजना, मनरेगा, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर) को एक माह का निःशुल्क राशन माह अप्रैल में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूर्ण कर ली जायें। भविष्य में स्थिति का आंकलन करने के उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

उक्त संस्तुति के कम मेंखाद्य एवं रसद विभाग द्वाराशासनादेश सं0–616/29–6–2020–345सा/12टीसी दिनांक 24 मार्च, 2020 जारी किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)

संस्तुति कमांक–7–समाज कल्याण विभाग एवं महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित–प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन तथा निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जाये।

उक्त संस्तुति के कम में संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

4. कमांक2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है। इस संबंध में–

–ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 425/38–7–2020 दिनांक 23.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

–शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या –698/नौ–9–2020–58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाये गये सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को रूपये 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5. पत्र के प्रस्तर–3 में उल्लिखित संस्तुति कमांक 2 के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा'Labour Cess Fund'से किया जायेगा।

6. पत्र के प्रस्तर–3 में उल्लिखित संस्तुति कमांक 3 एवं6तथा प्रस्तर–4 में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में वितरित की जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है,जो जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसारचिन्हित किये गये लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रयोग की जायेगी, जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

I. निशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश सं0–616/29–6–2020–345सा/12टीसी दिनांक 24 मार्च, 2020के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उचित दर विक्रेताओं के बैंक खातों में अंतरित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 में उल्लिखित है कि खाद्य आयुक्त द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त धनराशि की मांग संकलित कर राजस्व विभाग से धनराशि का आवंटन कराया जायेगा। चूंकि आपात स्थिति के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है अतः इस सम्बन्ध में जनपदों के सम्बन्धित जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत धनराशि की मांग को जिलाधिकारी अपने स्तर पर परीक्षण एवं अनुमोदित करते हुए उचित दर विक्रताओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करेंगे।

स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान करने से पूर्व पात्र लाभार्थियों तथा उचित दर विक्रेताओं की सूची को शासन स्तर पर राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा इस हेतु जिलाधिकारी की संतुष्टि पर्याप्त होगी। परन्तुजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किये गये निशुल्क खाद्य वितरण की सूचना तथालाभार्थियों की संख्या आदि का विवरण कार्यालयखाद्य आयुक्त उ0प्र0 शासन तथा राहत आयुक्त कार्यालय को प्रतिदिनप्रेषित किया जाये।

II. नगरीय निकाय क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या –698/नौ–9–2020–58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 के क्रम मेंपात्र सभी व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में प्रति व्यक्ति रुपये 1,000 प्रतिमाह की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। चूंकि आपात स्थिति के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है अतः इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लिखित नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पात्र व्यक्तियों की संख्या के आधार पर धनराशि की मांग को जिलाधिकारी अपने स्तर पर परीक्षण एवं अनुमोदित करते हुएपात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करेंगे।

स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान करने से पूर्व पात्र लाभार्थियों की सूची को शासन स्तर पर राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा इस हेतु जिलाधिकारी की संतुष्टि पर्याप्त होगी। परन्तु जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरित की गयी धनराशि की सूचना तथालाभार्थियों की संख्या आदि का विवरण नगर विकास विभाग तथाराहत आयुक्त कार्यालय को प्रतिदिन प्रेषित किया जाये।

III. इस पत्र के प्रस्तर–4 में उल्लिखित व्यक्तियों (मा0 मंत्री समिति की संस्तुति क्रमांक 2 से 7 के अनुसार सहायता देने के बाद भी बचे ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने परिवार की भरण–पोषण की सुविधा नहीं है) को दी जाने वाली सहायता राशि हेतु राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है,जो जिलाधिकारियों द्वारा इस श्रेणी के व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाई जायेगी।

स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान करने से पूर्व पात्र लाभार्थियों की सूची को शासन स्तर पर राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा इस हेतु जिलाधिकारी की संतुष्टि पर्याप्त होगी। परन्तु जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरित की गयी धनराशि की सूचना तथालाभार्थियों की संख्या आदि का विवरण ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग तथा राहत आयुक्त कार्यालयको प्रतिदिन प्रेषित किया जाये।

7. कृपया संबंधित समस्त विभाग एवं जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन जरूरतमंद व्यक्तियों के संबंध में एकत्र की गई सूचनाएं सत्यापित हो एवं उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग/जिलाधिकारी की

होगी।यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता DBT (Direct Benefit Transfer)के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाये। जहां पर पात्र लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है वहां प्राथमिकता पर बैंक खाता खुलवा कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में विभागों से संबंधित अनुश्रवण का कार्य संबंधित विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

स्पष्ट किया जाता है कि मा0 समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के क्रम में सहायता हेतु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पात्रता रखता है तो उसे प्रत्येक श्रेणी में सहायता अनुमन्य होगी।

जनपदों को आवंटित की जा रही अग्रिम धनराशि का आवंटनअनुदान सं0–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800 अन्य व्यय–06 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय मद में किया जा रहा है, जिसके लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31.03.2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

24/3/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. राजस्व अनुभाग–10/11 तथा गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।